राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना 800022

पत्रांक-बी.एस.यू.-04/2018-2139/रा.स.(।), दिनांक-14-08-2018

प्रेषक,

संजीव कुमार

विशेष कार्य पदाधिकारी (वि०वि०)

सेवा में,

कुलपति

बिहार के सभी विश्वविद्यालय

(कृषि विश्वविद्यालय एवं पशु विश्वविद्यालय को छोड़कर)

विषय- OFSS के माध्यम से वर्ष 2018 में स्नातक कक्षाओं में नामांकन के समय शिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकन शुल्क लेने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त पत्रांक-स्था.प्रे.-6148/, दिनांक 09.08.2018 की छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:-यथा उपर्युक्त ।

विश्वासभाजन,

(संजीव कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी (वि०वि०)

पत्रांक Exam Pro 6148/

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव
राजभवन, पटना।

पटना/ दिनांक 09.08.2018

विषयः– OFSS के माध्यम से वर्ष 2018 में स्नातक कक्षाओं में नामांकन के समय शिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकन शुल्क लेने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– 1403, दिनांक– 09/08/2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि OFSS के माध्यम से राज्य के दस विश्वविद्यालयों (ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय, दरभंगा/तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर/भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/वीरकुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/बी0आर0 अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/मगध विश्वविद्यालय, गया/जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा/पूर्णियाँ विश्विद्यालय, पूर्णियाँ/पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना/मुँगेर विश्वविद्यालय, मुँगेर) में स्नातक यथा कक्षाओं में नामांकन हेतु कारवाई की जा रही है। इसके पूर्व भी स्नातक कक्षा में नामांकन हेतु चयन सूची जारी की गयी थी, जिसके आधार पर कतिपय विद्यार्थियों द्वारा चयनित संस्थान में नामांकन शुल्क जमा करते हुए नामांकन भी लिया गया था। स्नातक की प्रथम संशोधित सूची शीघ्र प्रकाशित की जाने वाली है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों द्वारा चयनित संस्थानों में नामांकन कराया जायेगा, जहाँ संस्थान द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क लेने की कार्रवाई की जायेगी। प्रथम नामांकन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् रिक्त सीटों के लिए द्वितीय चयन सूची एवं अन्त में तृतीय चयन सूची प्रकाशित की जायेगी।

2. उल्लेखनीय है कि प्रथम नामांकन के पश्चात् कई विद्यार्थियों को द्वितीय सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकता है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि तृतीय एवं अंतिम सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प प्राप्त हों, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक नामांकन कराने में कई बार नामांकन शुल्क जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है।

3. अतः उक्त आलोक में छात्रहित में OFSS के अन्तर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– 1403, दिनांक– 09/08/2018 द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है :–

(i) OFSS के अन्तर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाय।

120

(ii) तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी का संशोधित प्रथम सूची अथवा आगामी द्वितीय सूची अथवा तृतीय सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय महाविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जाय।

(iii) पूरी चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात प्रथम संशोधित सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के उपरान्त नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अन्तिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से सम्बन्धित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी :–

(क) अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाय।

(ख) अगर यह नामांकन द्वितीय अथवा तृतीय है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय कितनी राशि जमा की गयी है– 'अगर यह राशि अन्तिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि विद्यार्थी को पूर्व के नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर वापस लौटा दी जाय और अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अन्तिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उतनी अतिरिक्त राशि विद्यार्थी से अन्तिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही विद्यार्थी के पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये गए नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस कर दी जाय।

4. साथ ही इस आलोक में समिति द्वारा निर्गत पत्रांक– बी0एस0ई0बी0(एस0एस0) / परीक्षा नियंत्रक / 03 / 2018 दिनांक 30 जुलाई, 2018 को निदेशानुसार निरस्त किया जाता है। सादर अनुरोध है कि इन दसों विश्वविद्यालयों को इसकी प्रतिलिपि भेजने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

9/8/18

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।